न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद अपील सख्या 03/2015

व्यवस्थापक अपनी बचत घर महिला सहकारी समिति लि. ग्राम खोडा गणेश, डीलर, उचित मूल्य दुकान ग्राम खोडा गणेश तहसील व जिला अजमेर जरिये श्री नारायण सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह निवासी खोडा गणेश ....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, अजमेर प्रथम ....रेस्पोन्डैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

उपस्थितः– 1.श्री उत्तम गुरूबक्षानी अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 18.01.2016

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी अपनी बचत घर महिला सहाकरी समिति लि0 ग्राम खोडा गणेश ग्राम पंचायत बूबानी को आवंटित उतिच मूल्य दुकान ग्राम खोडा के विरूद्ध दिनांक 28.7.2014 को ग्रामवासी खोडा व बुबानी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित शिकायत कालाबाजारी व अनियमितता बाबत एवं सक्षम पॉजीटिव वुमन नेटवर्क संस्था राजस्थान अजमेर की महिला कार्यकर्ताओं द्वारा भी इसी तरह की शिकायत प्रस्तुत एड्स पीडितो को राशन के गैहूँ देने में आनाकानी करने एवं अपमानित करने सम्बन्धी शिकायत जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान दिनांक 10.03.2015 को उचित मूल्य दुकान ग्राम खोडा ग्राम पं0 बूबानी का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये गये। इसी आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पों. की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपील कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सहकारी समिति लि0 से संबधित प्राधिकार पत्र प्राप्त है जिसमें अध्यक्ष मुखिया होता हैं एवं अपीलकर्ता व्यवस्थापक के तौर पर कार्य करता है। अपीलान्ट 5 वर्षो से ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठता से रसद सामग्री वितरण का कार्य कर रहा है। जिला रसद अधिकारी अजमेर को दिनांक 28.7.2014 को ग्राम बुबानी के कुछ व्यक्तियों द्वारा झूठी शिकायत प्रस्तुत की गई है। शिकायतकर्ता उचित मूल्य दुकान ग्राम खोडा के उपभोक्ता नहीं है। जिला रसद अधिकारी प्रथम अजमेर द्वारा गैर उपभोक्ताओं की बेबुनियाद, मिथ्या शिकायत पर बिना जांच कराये, अपीलार्थी को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित मौका दिये प्रश्नगत आदेश पारित कर न्याय का हनन किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाते हुए प्रशनगत जिला रसद अधिकारी अजमेर का आदेश दिनांक 10.03.2015 को अपास्त कर प्राधिकार पत्र बहाल फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

जवाब में पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध ग्रामवासियों द्वारा नामजद शिकायत केरोसीन एवं गैहूँ ब्लैक में दिये जाने बाबत की गई है। शिकायत जांच हेतु प्रवर्तन अधिकारी को दी गई। प्रवर्तन अधिकारी ने अपीलार्थी समिति द्वारा जांच हेतु रेकार्ड उपलब्ध नहीं कराये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा रेकार्ड उपलब्ध नहीं कराना भी उनके विरूद्ध की गई शिकायत का सही होना प्रमाणित करता है। अपीलार्थी समिति के व्यवस्थापक श्री नारायणसिंह का एच. आई.वी.पॉजीटिव राशनकार्ड धारियों के साथ दुर्व्यवहार कर सार्वजनिक रूप से उनको अपमानित करना भी राज्य सरकार के आदेशो के प्रतिकूल कृत्य है। उचित मूल्य दुकान, अपनी बचत घर महिला सहकारी समितियों को आंवटित करने का उद्धेश्य महिला सशक्तीकरण एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर/स्वावलम्बी बनाना है न कि उसका संचालन किसी पुरूष द्वारा किया जावे। समिति द्वारा श्री नारायण सिंह को व्यवस्थापक नियुक्त कर महिला सहकारी समिति को उचित मूल्य दुकान आवंटन करने का सरकार का उद्धेश्य ही खत्म कर दिया है। सरंपच ग्राम पंचायत बुबानी द्वारा भी जिला रसद अधिकारी को पत्र प्रेषित कर ग्राम खोडा के डीलर द्वारा मनमानी करने एवं राशन सामग्री उपभोक्ताओं को नहीं दिये जाने की शिकायत कर डीलर को हटाने एवं किसी अन्य को नियुक्त करने का निवेदन किया गया है। अपीलान्ट अपनी बचत घर महिला सहकारी समिति लि0 खोडा ग्राम पंचायत बुबानी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघंन किया जाना पाया जाने पर ही जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 10.3.2015 से अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमाशुदा प्रतिभूति राशि 250/–रू. अक्षरे दौ सौ पचास रूपये जब्त सरकार किये जाने की आदेश पारित किये है। अतः अपीलाधीन आदेश पूर्णतया न्याय संगत विधि अनुरूप एवं अपीलान्ट द्वारा बरती गई अनियमितताओं के मध्यनजर होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला रसद अधिकारी अजमेर प्रथम द्वारा अपीलार्थी अपनी बचत घर महिला सहकारी समिति लि0 ग्राम खोडा गणेश ग्राम पंचायत बूबानी को आवंटित उचित मूल्य दुकान ग्राम खोडा के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर हस्ताक्षरित व्यक्तियों से शिकायत में वर्णित तथ्यों की सत्यता बाबत पूर्ण परीक्षण/जांच, यथा शिकायतकर्ता/उपभोक्ताओं के बयान आदि दर्ज कर नहीं की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया जाने से पूर्व अपीलार्थी को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना भी प्रकट नहीं है। अतः जिला रसद अधिकारी अजमेर प्रथम द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.03.2015 निरस्त किया जाता है। पत्रावली जिला रसद अधिकारी अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे अपीलान्ट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से आदेश पारित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.01.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner